

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
पाठी कल्याण सिंह भवन, रायपुर, छ.ग.

क्रमांक 7260

प्रति / 355 / जरा / तशा / ऑजप्र / 05 / ढी-4

रायपुर दि. 19/12/2007

मुख्य अभियंता,
हसेत्र कदगर,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

पिपल:—एस. की पॉवर प्रा.लि., हैदराबाद हारा कोरबा जिले में प्रस्तावित 2x56 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट एवं कोल वॉशरी हेतु लीलागर नदी से 5.50 मि.ध.मी. वार्षिक जल आवंटन की स्वीकृति।

संदर्भ:—1. शासन का पत्र क्र.-4184-4185/7/जसं/तशा/ऑजप्र/01/डी-4, रायपुर दिनांक 24.07.2007
2. अपका पत्र क्र.-1112-1113/61/ना/पी-2/बिलासपुर, दि. 05.11.2007

उपरोक्त विधातार्गत प्रकरण में इज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ कमिट्टीनेट चार्जेस रु. 1.375 लाख का द्वारा जल संसाधन विभाग को किये जाने के तारतम्य में इस ही पॉवर प्रा.लि., हैदराबाद हारा जिला-रायगढ़, तहसील-पाली, ग्राम-रेकी, के निलंबन प्रस्तावित 2x56 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट एवं कोल वॉशरी हेतु लीलागर नदी से वार्षिक 5.50 निलेगन घन मीटर वार्षिक (लगभग 15000 घनमीटर / दिन) जल प्रदाय की स्वीकृति, लीलागर नदी में संरक्षण के ब्यय से, जल संसाधन विभाग हारा एनीकट के निर्माण उपरात निर्मालितित शर्तों के साथ प्रदान जी जाती है।

1. संरक्षण, लीलागर नदी में प्रस्तावित जलाशय/एनीकट के सर्वेक्षण एवं तदनुसार उसके निर्माण कार्य की संपूर्ण लागत वहन करेगा। निर्माण व्यय संरक्षण द्वारा देय जल-कर की राशि में समायोजित किया जा सकेगा। सर्वेक्षण/निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग हारा किया जायेगा एवं एनीकट का स्वामित्व जल संसाधन विभाग के पास रहेगा।
2. संरक्षण, लीलागर नदी में प्रस्तावित जलाशय/एनीकट के निर्धारित रथल से अपने संयंत्र स्थल तक जल ले जाने हेतु जावश्यक व्यवस्था (इंटकेल का निर्माण, पाईप लाइन बिछाना आदि) जल संसाधन विभाग के अनुमोदन उपरात रखय के व्यय पर करेगा।

.....2.....

3. प्रकरण में प्रदायित जल की मात्रा के माप हेतु इंटेकवेल (पंप हाउस) में मान समय-समय पर विभाग द्वारा जांच की जा सकेगी।
4. जल ले जाने हेतु भू-अर्जन एवं संबंधित जो भी समस्या आयेगी उसका निराकरण संरथान रद्यों के व्यय पर रख्या करेगा।
5. संरथान द्वारा धारतविल के आधार पर स्वीकृत जल-मात्रा के आंकलन एवं समीक्षा समय-समय पर शासन द्वारा की जा सकेगी।
6. लीलागढ़ नदी से जल आहरण के प्रस्तावित स्थल (निर्माण कार्य) के ऊपर एवं नींव जल उपयोग हेतु जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा एवं निर्माण किये जाने वाले जलाशय/एनीकट में संरथान द्वारा वांछित जल के अतिरिक्त जल के उपलब्ध होने पर उसके उपयोग हेतु भी जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा।
7. संरथान, स्थानीय लोगों के जल उपयोग जैसे पेयजल एवं निस्तार आदि हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
8. संरथान उपयोग के पश्चात अपने संयंत्र से निस्तारित जल का रि-साइकलिंग करके इसका उपयोग करेगा एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार उपचार कर निस्तारित करेगा, ताकि क्षेत्र में जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न न हो।
9. संरथान को जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व विभाग से निर्धारित प्ररूप-7(क) में मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के निर्देशानुसार /अनुसोदन उपरांत अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
10. संरथान को शासन द्वारा शासकीय स्त्रोत से औद्योगिक जल उपयोग हेतु समय-समय पर निर्धारित जल-दर पर जल कर एवं कमिटमेंट चार्जस का नियमानुसार भुगतान जल संसाधन विभाग को अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. प्रकरण में जल प्रदाय की यह स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों/परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य में किसी कारणवश नदी के जल प्रवाह में कमी होने पर शासन इसके लिए जवाबदेह नहीं रहेगा एवं इस संबंध में शासन के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा मान्य योग्य नहीं होगा।

(B)

.....3.....

2. शासन द्वारा कमिटमेंट चार्जेस के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 के अनुसार संरथान को इस रवीकृति पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 वर्षों के अंदर जल का उपयोग प्रारंभ करना होगा। इस अवधि के दौरान संरथान द्वारा यदि जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उपयोग प्रारंभ करने की समय-सीमा अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाई जा सकेगी एवं इस वर्ष में 10% अंश की जल-कर राशि अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह के अंदर जमा करनी होगी। अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस की निर्धारित अधिकतम 2 वर्ष की समय-सीमा के अनुसार भुगतान करने के पश्चात भी यदि संरथान द्वारा जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित समरत शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से जल आवंटन/आरक्षण स्वमेव समाप्त माना जायेगा एवं शासन को इस जल को अन्य किसी के उपयोग हेतु आवंटित/आरक्षित करने की स्वतंत्रता होगी।
13. संरथान द्वारा प्रस्तावित पॉवर प्लांट हेतु छत्तीसगढ़ शासन/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत भण्डल के साथ निष्पादित एम.ओ.यू. की वैधता अवधि यदि खल होती है या संरथान द्वारा, एम.ओ.यू. की वैधता अवधि के दौरान नियमानुसार इंसिमेन्टेशन एप्रीमेंट नहीं किया जाता है तो भी प्रकरण में स्वीकृत जल आवंटन निरस्त माना जायेगा।

संहिता:-
शून्य।

Dm

25/12/2007
 (दिलीप वासनीकर)
 संयुक्त सचिव,
 जल संसाधन विभाग,
 मंत्रालय, रायपुर

.....4.....

.....4.....

पृ. क्रमांक 726/ 355 / जस. / तसा / औजप्र / 05 / डी-4 रायपुर दि. 19/12/2007
प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय की ओर उनके पत्र क्र.-600/2/13/अवि/एम.ओ.यू. समीक्षा/07, रायपुर दि. 14.03.07 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
 3. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, विलासपुर, एवं
 4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

 5. उप संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, मंत्रालय के पास (रिणुका ढार), शास्त्री चौक, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र.-215/एसआईपीबी/2006/1287, रायपुर दिनांक 13.11.2006 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
 6. डायरेक्टर, एस.डी.पॉवर प्रा.लि. 6-3-1190/ए/1, तीसरा माला, नवभारत घैम्बर्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद (आ.प्र.) की ओर उनके पत्र दि. 22.01.2007 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

✓ सहपत्र:-शन्ति।

सहपत्रः—शान्त्य ।

Prajakta
प्रजेष्ठ कर्तव्यस्थ अधिकारी
जल संसाधन विभाग,
स्त्री मंत्रालय, रायपुर